Title : Need to include Sambalpuri / Kosali language in the Eighth Schedule to the Constitution-Laid

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़): मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान संविधान की आठवीं अनुसूची में संबलपुरी/कोसली भाषा को शामिल करने और इसे ओडिशा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । ओडिशा के 30 में से 11 जिलों में लगभग दो करोड़ लोग संबलपुरी/कोसली भाषा बोलते हैं । यह एक प्राचीन भाषा है, जो समृद्ध मौखिक परंपरा और साहित्यिक विरासत से परिपूर्ण है । इसमें रामायण, महाभारत और भगवत गीता के अद्भुत रूपांतरण समेत अनेक साहित्यिक कृतियां शामिल हैं । प्रतिष्ठित लोककवि पद्मश्री हलधा नाग,प्रसिद्ध गीतकार श्री मित्रभानु गौंटिया,और प्रतिभाशाली संगीतकार जितेंद्र हरिपाल जैसे व्यक्तित्व इस भाषा और संस्कृति की गहराई और गौरव को दर्शाते हैं । संबलपुरी/कोसली पश्चिमी ओडिशा के लोगों की प्राथमिक भाषा है । 1 मार्च 2014 को ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से संबलपुरी/कोसली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया था । दुर्भाग्य से तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मामले को उतनी तत्परता से आगे नहीं बढ़ाई जितनी तत्परता से सभी को संबलपुरी/कोसली को आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में मान्यता देनी चाहिए । मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि संबलपुरी/कोसली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल के साथ ओडिशा की आधिकारिक भाषा केरूप में मान्यता देने हेतु आवश्यक कदम उठाए ।